

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्र. 330/16/16

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू नं. 38/16 (एस) डा. सुधा डंगल
विरुद्ध शा. नि. वि. विभाग

—00—

सचिव मध्य प्रदेश शासन उ.श. विभाग के आदेश क्रमांक 522/न्या/16
दिनांक 15-3-16 में अतिरिक्त सचालक/सचिव उच्च शिक्षा, म. प्र. शासन
न्यायालयीन प्रकरण डा. सुधा डंगल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त
किया जा रहा है। पर्याप्त शिक्षण आदेश जारी करने हेतु सचिव वि. वि. विभाग की ओर
आदेश जारी किया जा रहा है।

OS

आयुक्त/सचिव महोदय

वि. वि. विभाग

र. प्र. शा.

प्रतिरूप हेतु नक्की विधि किताब
की निर्दिष्ट करना विक. अ.

4/16/03/16

समाकान्त समराव

सचिव/आयुक्त

म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

File No.	304
Date	16/3/16

16/3/16

ਪੰਜੀ ਕਰਮਾਂਕ

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू. क्र. २४ / १६ (एस) ५/०८/९७ अम
तथा सुविधा विरुद्ध श्री/श्री

-00

कृष्ण !

मुपना

आरुक्ता / सचिव महोदय

वि.क.अ.(न्या.प्रकोष्ठ)

C-10
 R.N. 290
 14/3/18
 O.W. 14/11

$$\begin{array}{r} 552,53 \overline{) 16} \\ \underline{153} 16 \end{array}$$

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर खण्डपीठ ग्वालियर
प्रत्यर्थी को पत्र रूप में सूचना

Respondent No. 3
Fixed for 07-04-2016
By- RAD
DA- 02

Process Id: **6965/2016**

प्रेषक

डिप्टी रजिस्ट्रार
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,
खण्डपीठ ग्वालियर।

स्थानीय न्यायालय... 709.....
दिनांक... 21/3/16.....

FOR ADMISSION

क्रमांक

प्रति,

**Commissioner,
Higher Education, M.P.,
Satpura Bhawan, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),**

ग्वालियर, 25-02-2016

विषय :- **Service of Notice WA/38/2016**, में प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को सूचना।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने को निर्देशित किया गया है कि डॉ. सुयश कुमार नेWP.... क्रमांक8698.... सन्2015.... में न्यायालय, (Hon'ble Justice Shri Rohit Arya) के निर्णय दिनांक 25-01-2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील (प्रतिलिपि संलग्न) फाइल की है और WA/38/2016 रूप में इस न्यायालय में पंजीयित कर ली गई है।

अपील में **WRIT APPEAL FILED UNDER SEC 2(1) OF M.P. UCHCHA NYAYALAYA (KHAND NYAYPEETH KO APPEAL) ADHINIYAM 2005** रुपये का दावा किया है।

अतएव सूचित हो कि अपीलार्थी ने ऊपर वर्णित अपील प्रस्तुत की है और यह कि इसके लिये इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2016 आपकी सुनवाई/उपस्थिति का दिनांक नियत किया गया है। प्रत्याक्षेप यदि कोई हो, तो वह इस सूचना की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

आप उस दिनांक को तैयार रहें किन्तु यदि न्यायालय के कार्यवश अपील की सुनवाई उस दिनांक को न हो सके तो उसे उसके बाद यथासाध्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष रखा जायेगा। यदि आपकी ओर से आप स्वयं, आपका वकील या इस अपील में आपके लिए कार्य करने हेतु विधिवत् प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो इसकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जावेगी और निर्णय दे दिया जावेगा।

आप इस बात से भी सूचित हों कि अपील से संबंधित निचले न्यायालय के अभिलेख इस न्यायालय में प्राप्त हो चुके हैं और वे निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक 07.04.2016 को या उसके पूर्व ऐसे कागजातों और दस्तावेजों की, जो आप अपने खर्च पर कागजात पुस्तक में शामिल करवाना चाहते हों, एक सूची तैयार करके परिदत्त कर दें। वह आवश्यक नहीं है कि आप सूची में उन कागजातों तथा दस्तावेजों का उल्लेख करें जिनका शामिल किया जाना इस न्यायालय के नियमों के अधीन बाध्यकर है।

सूची निम्नलिखित फार्म में होना चाहिये :-

कागज का विवरण (दिनांक सुमेदक चिह्न तथा पृष्ठ संख्या) (1)	संपूर्ण या कोई भाग शामिल किया जाना है (यदि भाग हो तो उल्लेख करें) (2)	कागजात पुस्तक का पृष्ठ (कार्यालय में भरा जाय) (3)

निवेदन है कि आप इस पत्र की अभिस्वीकृति भेजें। :-

सहपत्र :- अपील के कारणों की प्रतिलिपि।



AFFIXED AT GWALIOR

भवदीय
Sd/-
26.2.16
अनुभाग अधिकारी
Section Officer
High Court Of Madhya Pradesh
Bench Gwalior

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR

W.A. No. 38 of 2016

Appellant :

Dr. Suyash Kumar

Versus

Respondents:

State of Madhya Pradesh & Others

Index

S.No.	Description of Documents	Annexure No.	Page No. of the Documents
1.	Chronology of Events		A
2.	Memo of Writ Appeal		01 to 09
3.	Impugned order of W.P. 8698/15	A-1	10 to 14
4.	NCC Rules, 1948	A-2	15 to 53
5.	Transfer Policy 2015-16 dt. 15.4.2015	A-3	54 to 70
6.	Acknowledgement of representation	A-4	71 to 72
7.	Transfer Policy 2015-16 dt. 15.4.2015	A-5	73
8.	Transfer Policy 2015-16 dt. 15.4.2015	A-6	74
9.	Transfer Policy 2015-16 dt. 15.4.2015	A-7	75
10.	Transfer Policy 2015-16 dt. 15.4.2015	A-8	76
11.	Transfer Policy 2015-16 dt. 15.4.2015	A-9	77
12.	Transfer Policy 2015-16 dt. 15.4.2015	A-10	78
13.	Transfer Policy 2015-16 dt. 15.4.2015	A-11	79
14.	Power		194 to 195
15.	Power		196
16.	Power		197

Place : Gwalior.

Humble Appellant


Dated: February, 2016

Dr. Suyash Kumar

Advocates for the appellant

B.P. Singh


Alok Kumar Sharma


A.P.S. Chauhan

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR

W.A. No. 38 of 2016

Appellant :

Dr. Suyash Kumar

Versus

Respondents:

State of Madhya Pradesh & Others

Index

S.No.	Description of Documents	Annexure No.	Page No. of the Documents
1.	Chronology of Events		A
2.	Memo of Writ Appeal		01 to 09
3.	Impugned order of W.P. 8698/15	A-1	10 to 14
4.	NCC Rules, 1948	A-2	15 to 53
5.	Transfer Policy 2015-16 dt. 15.4.2015	A-3	54 to 70
6.	Acknowledgement of representation	A-4	71 to 72
7.	Circular re. clause 14 of policy	A-5	73
8.	Letter to CO seeking information	A-6	74
9.	Reply by CO giving information	A-7	75
10.	Coordinate Writ Bench decisions	A-8	76 to 89
11.	Writ Petition with Annexures		90 to 193
12.	Application for Stay		194 to 195
13.	Affidavit		196
14.	Power		197

Place : Gwalior.

Humble Appellant

Dated: February, 2016

Dr. Suyash Kumar

Advocates for the appellant

B.P. Singh


Alok Kumar Sharma


A.P.S. Chauhan

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR

W.A. No. 38 of 2016

Cause Title

APPELLANT :

Dr. Suyash Kumar S/o Late Shri Ashok Kumar, Aged 49 years, Occupation Service as Assistant Professor, R/o GF-2, Sun Sign Apartment, Harishankar Puram, Gwalior, M.P.

Versus

RESPONDENTS:

1. State of Madhya Pradesh, through the Chief Secretary, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal M.P.
2. State of Madhya Pradesh, through the Principal Secretary, Higher Education Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal M.P.
3. Commissioner, Higher Education, M.P. Satpura Bhawan, Bhopal, M.P.
4. Principal, Govt. Model Science College, Gwalior, M.P.

Writ Appeal Under Section 2 of the Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya (Khand Nyaypeeth Ko Appeal) Adhiniyam, 2005 against the Judgement and order dated 25.01.2016 passed by the Hon'ble Single Judge Shri Justice Rohit Arya in W.P. No. 4698/2015(S) Annexure A-1.

MAY IT PLEASE THIS HON'BLE COURT,

The humble appellants submit as under:-

1. That, appellant is working as Assistant Professor (Geology) and he is also a Commissioned NCC Officer having the rank of Sub Lieutenant in the Naval Wing of NCC since 2010. Appellant is posted and working presently in Govt. Model Science College, Gwalior. The order of granting commission to

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 552/330/2016 15-3-16
सिविल प्रक्रिया संहिता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-1 तथा
-1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए

शिक्षा ग्वालिगर को याचिका क्रमांक 5000 ए 38/2016
(पक्षकारों के नाम) डा. सुमन कुमार विरुद्ध शासन

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके और से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्ता पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरन्त परचात बादों में ऐसी स्थिति में जिसके व्यौर नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- 1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्यकता हो, और याचिका में उल्लेख गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।
- 2/ समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3/ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- 4/ शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित/कथन उत्तर तैयार करवाएगा।
- 5/ महत्वपूर्ण/नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित/कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-
1/ वाद/पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका।
2/ प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप।
3/ उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
4/ मामले विशदीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- 6/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रक्रम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा।
- 7/ जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।
- 8/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा।

9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियों प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हो।

10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद भार देने के परचात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मदद/सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जावे।

12/ महत्वपूर्ण/नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

13/ जिन प्रकरणां में माननीय मुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे मामलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र आवेदन दायर कर विलोपित करवाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15-3-16

पृ०क्र० 553/330/उशि/मंत्रालय/न्याय/16
प्रतिलिपि:-

- 1/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय म०प्र० जलपुर/इन्दौर/ग्वालिगर संभाग म.प्र. की ओर।
- 2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विध्यालय भवन भोपाल
- 3/ संयुक्त जिल्लाध्यक्ष ग्वालिगर मध्यप्रदेश।
- 4/ प्रभारी अधिकारी को और प्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्त रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक बैठ (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आ. की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये, मामले की सुनवाई की तारीख 7-4-16 की सुनवाई हेतु नियत की गई थी/है।
- 5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल